*मणिपुर विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1972

(1973 का मणिपुर अधिनियम संख्यांक 1)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड (1) के उपखंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार यह घोषित करने के लिए कि भारत सरकार या संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ के कतिपय पद, उनके धारकों को मणिपुर विधान सभा के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने से निर्रहित नही करेंगे, अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मणिपुर विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मणिपुर विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1972 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. **सदस्यता के लिए कतिपय निर्रहता हटाना** --(1) यह घोषित किया जाता है कि कोई व्यक्ति मणिपुर विधान सभा का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए केवल इस कारण से निरर्हित नहीं होगा कि वह भारत सरकार या संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन निम्नलिखित लाभ के पदों में से किसी को धारण करता है, अर्थात् :--

(क) संसदीय सचिव या राज्य योजना बोर्ड मणिपुर के उपाध्यक्ष, मणिपुर विधान सभा की पहाड़ी क्षेत्र समिति के अध्यक्ष का कोई पद ;

(ख) कोई पद जो ऐसा पूर्णकालिक पद नहीं है जिसका पारिश्रमिक वेतन या फीस द्वारा दिया जाता है;

(ग) किसी राज्य मंत्री या किसी उप मंत्री का पद ;

(घ) मणिपुर विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ;

(ड़) संसद् या मणिपुर विधान सभा में मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक का पद ;

(च) अध्यक्ष, जिला परिषद्, मणिपुर ;

(छ) अध्यक्ष, मणिपुर राज्य वेतन आयोग ;

(ज) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, मणिपुर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, इम्फाल ।

(2) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश के होते हुए भी, खंड (ग) से खंड (ज) तक के पूर्वोक्त पद, उनके धारकों को मणिपुर विधान सभा के सदस्य चुने जाने या सदस्य होने से उसी प्रकार निरर्हित नहीं करेंगे या कभी भी निरर्हित करने वाले नहीं समझे जाएंगे, मानो यह अधिनियम 6 फरवरी, 1973 को प्रवृत्त हो गया था ।

---

* यह प्राधिकृत पाठ नहीं है ।